

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 133/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/215

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.पुखराज पुत्र धनरूपजी		1.चम्पालाल पुत्र राणाराम
2.जबरसिंह पुत्र धनरूपजी		2.पकुदेवी पत्नी राणाराम
जाति राजपुरोहित		3.राजूसिंह पुत्र राणाराम
निवासी भिण्डाकुआं,बिटूजा		4.पेमाराम पुत्र राणाराम जाति राजपुरोहित
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		5.सरपंच ग्राम पंचायत बिटूजा
		6.नगर परिषद जरिए आयुक्त
		7.भीमसिंह पुत्र धनरूपजी जाति पुरोहित
		निवासी वेरानाड़ा बिटूजा
		तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
		पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
- 2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 25.11.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि प्रार्थीगण की सह-खातेदारी भूमि ग्राम बिटूजा पटवार हल्का बिटूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1519/1125 क्षेत्रफल 1.5782 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1137/419 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बिटूजा पटवार हल्का बिटूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1519/1125 क्षेत्रफल 1.5782 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1137/419 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि की नैखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्राथीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राथीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्राथी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने प्राथीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्राथीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्राथीगण की सह-खातेदारी भूमि ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 1519/1125 क्षेत्रफल 1.5782 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1137/419 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्राथीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्राथीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्राथी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्राथीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्राथीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्राथीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्राथीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्राथी झगडालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्राथीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्राथीगण द्वारा विप्राथी को मना करने के उपरांत भी विप्राथी प्राथीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्राथीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 1519/1125 क्षेत्रफल 1.5782 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1137/419 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने प्राथीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 1519/1125 क्षेत्रफल 1.5782 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1137/419 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि प्राथीगण की सह-खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्राथीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्राथी हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.6.2022 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में विवादित आराजी के आंशिक हिस्सा पर खसरा संख्या 1057/419 व 1058/415 का कब्जा पाया जाना उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए विधि में निहित प्रावधानों के तहत प्रार्थी स्वतंत्र है। लेकिन सीमाज्ञान रिपोर्ट में सीमाओं को लेकर विवाद की स्थिति का कहीं स्पष्ट आंकलन किए जाने की टिप्पणी नहीं की गई है। इस कारण न्यायालय हाजा विवादित आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होनी की रिपोर्ट को लेकर आश्वस्त नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1519/1125 क्षेत्रफल 1.5782 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1137/419 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करे।



दिनांक 25.11.2022 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा